न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 4/2022 (2022/62) प्रार्थना पत्र

उनवान

1–गंगाराम आत्मज मोडा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–चन्द्रशेखर आत्मज कस्तुरचन्द ब्राहम्ण निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1–राजेन्द्रकुमार आत्मज चन्द्रशेखर ब्राहम्ण निवासी रायपुर तहसील रायपुर
1/2–ज्ञानेन्द्रकुमार आत्मज चन्द्रशेखर ब्राहम्ण निवासी रायपुर तहसील रायपुर
1/3–लिलादेवी पत्नि चन्द्रशेखर ब्राहम्ण निवासी रायपुर तहसील रायपुर
2–देउ पत्नि नानालाल जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–संतोषदेवी पत्नि रतनलाल जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण – प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.06.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1499/16 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित थी तथा इसी प्रकार ग्राम सगरेव के बैरून हल्का में साबिक आराजी संख्या 1499/15 रकबा 6 बीघा भूमि स्थित थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 तक साथ प्रस्तुत है तथा साबिक नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 1499/16 एवं 1499/15 के दक्षिणी ओर साबिक आराजी संख्या 1499/6 स्थित थी जो साबिक नक्शे में स्पष्ट अंकित है। ग्राम सगरेव तहसील रायपुर का नवीन भू प्रबन्ध हुआ जिसमें प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 1499/16 व 1499/15 के नवीन आराजी संख्या 2969 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 2967 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2968 रकबा 1.05 है0 कायम किये गये तथा साबिक आराजी संख्या 1499/8 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि के नवीन आराजी संख्या 2966 रकबा 1.10 है0 कायम किये गये। प्रमाण में मिलान क्षैत्रफल की नकल साथ संलग्न है। भू प्रबन्ध अधिकारियो एवं कर्मचारियो को राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में फेरबदल करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते हुए भी उन्होने साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा कायम नही कर साबिक आराजी संख्या 1499/15 के दक्षिण ओर स्थित होते हुए भी उसे नवीन नक्शे में प्रार्थी की नवीन आराजी संख्या 2767 के पश्चिमी ओर गलत रूप से फीट दर्शा दी गई है। जिससे प्रार्थी की साबिक आराजियात के नक्शे में दुरस्ती करवाई जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थी की आराजियात के नवीन नक्शे में गलत रूप से विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 2966 को फीट कर दी जबकि प्रार्थी साबिक नक्शे के अनुरूप ही मौके पर काबिज चला आ रहा है तथा साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा कायम नही करने से विपक्षीगण प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात में नाजायज दखलंदाजी करने लग गये जिससे साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में दुरूस्ती करवाई जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 1499/16, 1499/15 के साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन अराजी संख्या 2967, 2968, 2969 के नवीन नक्शे में दुरस्ती कराये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे यानि प्रार्थी का साबिक

आराजियात ने साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में दुरस्ती कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान फरमाया जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें अंकन किया गया कि वादी गंगाराम पिता मोडा गुर्जर निवासी सगरेव के नाम पर वर्तमान जमाबन्दी में आराजी संख्या 2967 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2968 रकबा 1.05 है0, आराजी संख्या 2969 रकबा 0.33 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.63 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है। इसी आराजी संख्या से लगती हुई आराजी संख्या 2966 रकबा 1.10 है0 प्रतिवादीगण चन्द्रशेखर पुत्र कस्तुरचनद हिस्सा 1/2 ब्राहम्ण सा. रायपुर देउदेवी पत्नि नानालाल 1/4 जाट, संतोषदेवी पत्नि रतनलाल 1/4 जाट सा. सुरजपुरा की कृषि भूमि स्थित है। वादी की हाल आराजी संख्या 2967, 2968, 2969 के नक्षे को साबिक नक्शा आराजी संख्या 1499/15मी रकबा 6 बीघा, आराजी संख्या 1499/16 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा अनुसार शुद्व कराना चाहता है। वादी का वर्तमान में आराजी संख्या 2969 रकबा 0.33 है0 मे से 0.02 है0 एवं आराजी संख्या 2968 रकबा 1.05 है0 मे से 0.15 है0 दक्षिणी मेड़ पर पड़त पड़ा होकर रास्ता के रूप में उपयोग आ रहा है एंव प्रतिवादीगण के आराजी संख्या 2966 रकबा 1.05 है0 मे करीब रकबा 0.45 है0 पर वादी का कब्जा है जिस पर काश्त कर रहा है। प्रतिवादी का मौके पर 0.60 है0 पर ही कब्जा है। वर्तमान एवं साबिक नक्शे अनुसार संशोधन कराना चाहता है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया एवं तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी की आराजियात साबिक एवं नवीन रेकार्ड के अनुसार तरमीम नही की जाने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी साबिक नक्शे अनुसार ही मौके पर काश्त कर रहा है तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन कर रखा है। राजस्व नक्शे में प्रार्थी के कुछ भू–भाग को विपक्षीगण की आराजी में मिला रखा तथा विपक्षीगण के कुछ भू–भाग को प्रार्थी की आराजी में मिला रखा जिसको प्रार्थी दुरस्त करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव के हाल राजस्व नक्शे में अंकित आराजी संख्या 2968 रकबा 1.05 है0 मे से 0.15 है0 भूमि (दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर) व आराजी संख्या 2969 रकबा 0.33 है0 मे से 0.02 है0 भूमि (दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर) कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के नाम व आराजी संख्या 2966 रकबा 1.05 है0 मे से 0.17 है0 (पूर्वी तरफ उतर से दक्षिणी की ओर) भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम की जाकर राजस्व नक्शे इसी अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जावे। इसी अनुसार डिकी जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 4/2022 (2022/62) प्रार्थना पत्र

उनवान

1–गंगाराम आत्मज मोडा गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–चन्द्रशेखर आत्मज कस्तुरचन्द ब्राहम्ण निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1–राजेन्द्रकुमार आत्मज चन्द्रशेखर ब्राहम्ण निवासी रायपुर तहसील रायपुर
1/2–ज्ञानेन्द्रकुमार आत्मज चन्द्रशेखर ब्राहम्ण निवासी रायपुर तहसील रायपुर
1/3–लिलादेवी पत्नि चन्द्रशेखर ब्राहम्ण निवासी रायपुर तहसील रायपुर
2–देउ पत्नि नानालाल जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–संतोषदेवी पत्नि रतनलाल जाट निवासी सुरजपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव के हाल राजस्व नक्शे में अंकित आराजी संख्या 2968 रकबा 1.05 है0 मे से 0.15 है0 भूमि (दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर) व आराजी संख्या 2969 रकबा 0.33 है0 मे से 0.02 है0 भूमि (दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर) कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के नाम व आराजी संख्या 2966 रकबा 1.05 है0 मे से 0.17 है0 (पूर्वी तरफ उतर से दक्षिणी की ओर) भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम की जाकर राजस्व नक्शे इसी अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा